संख्या 90क046(1)/10-11-79-9/155-79

प्रेषक:

श्री अशोक कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) शासन के समस्त सचिव,
उत्तर प्रदेश ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

चिकित्सा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक : 23 फरवरी, 1980

विषय:- स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे परिवार की अवधारणा को स्वीकार करने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव कुछ समय से शासन के विचाराधीन था । विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने 40 वर्ष की आयु से पूर्व अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो तथा अपना अथवा यथास्थिति अपनी पत्नी या अपने पति का समस्त पत्नियों का नसबन्दी आपरेशन करा लिया हो अथवा 40 वर्ष से अधिक आयु वाले वे सरकारी सेवक जिनका परिवार दो बच्चों तक सीमित हो और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 9(23)(बी) के अन्तर्गत उसकी अगली देय वेतनवृद्धि के बराबर की धनराशि का मौलिक वेतन (पर्सनल पे) स्वीकृत किया जाये, जो भविष्य में उसी पद पर या पदोन्नति पर भी पूर्ण सेवाकाल में मिलता रहेगा । उन कर्मचारियों को, जो अपने वेतनमान में अधिकतम सीमा तक पहुँच चुके हैं, उन्हें भी अन्तिम बार दी गई वेतनवृद्धि के बराबर की धनराशि वैयक्तिक वेतन (पर्सनल पे) स्वीकृत किया जाएगा जो पूरे सेवा काल तक मिलता रहेगा । उक्त आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 1979 से लागू समझे जायेंगे । प्रतिबन्ध यह है कि [redacted]

2- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवार नियोजन से सम्बन्धित विशेष उपलब्ध नियमावली 1976 के नियम 12 के अन्तर्गत जिन सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका है, उन्हें उक्त सुविधा देय न होगी ।

भ= ह0अ0

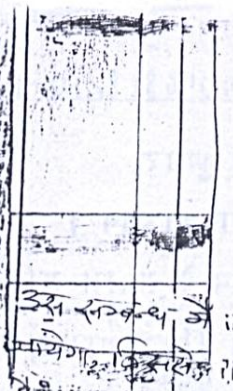

3- इस सम्बन्ध में जो व्यय होगा वह उसी लेखाशीर्षक से ... जाता द्वारा ... सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी उसका वेतन ग्रहण करता है।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0जी-2-217-/दस-00, दिनांक 21 फरवरी 1900 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

ह0 अपठनीय,

ह0श्री अशोक कुमार,
उप सचिव

पुलिस मुख्यालय का संख्या सं0बारह-50-78
दिनांक 11-4-1900

प्रतिलिपि उप महानिरीक्षक/निदेशक
पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ को।
पत्रावली संख्या सिस-निस-6/79 कागज सं0 33

लेखा/

ATTESTED

B. Sairali
19/4

संख्या-जी.68/5-9-2000-9(236)/89

प्रेषक,

डा०टी०डी०माहेश्वरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक: 18 अप्रैल, 2000.

विषय:- स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन को दिनांक 1.1.96 से पुनरीक्षित वेतनमान में पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में वेतन समिति के 11वें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-प०क०4601/16-11-79-9-155-79 दिनांक 23 फरवरी, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत वैयक्तिक वेतन को इस प्रकार पुनरीक्षित किया जाये कि राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को जिन्हें 1.1.96 के पूर्व वेतनमानों के आधार पर उपरोक्त प्रोत्साहन स्वरूप वैयक्तिक वेतन स्वीकृत/पुनरीक्षित किया गया/मिल रहा हो, सम्बन्धित कर्मचारियों को स्वीकृति के समय धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान की न्यूनतम वेतन वृद्धि के बराबर संशोधित कर दिया जाय एवं दिनांक 1.1.1996 अथवा उसके पश्चात् स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त प्रोत्साहन अनुमन्य होने पर इसे वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार दिया जाय।

2- उक्त निर्णय के क्रम में पात्र सरकारी सेवकों को सुविधा अनुमन्य कराये जाने के बिन्दु पर मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस संबंध में होने वाला व्यय उसी लेखाशीर्षक के नाम डाला जायेगा, जिससे सम्बन्धित सरकारी अधिकारी/

-------2/---

कर्मचारी का वेतन आहरित किया जाता है ।

3- स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन दिए जाने की अन्य शर्तें वही होंगी जिनका उल्लेख उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 23 फरवरी, 1980 में उल्लिखित है ।

4- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-21427/दस/2000 दिनांक 4 अप्रैल, 2000 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(डा0जी0डी0माहेश्वरी)
विशेष सचिव।

संख्या-जी-68(1)/5-9-2000-9(236)/89 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) श्री राज्यपाल के सचिव ।
(2) सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
(3) सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग), नई दिल्ली ।
(4) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(8) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश ।
(9) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(10) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(11) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/
(12) वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण) अनुभाग ।
(13) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(14) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शान्ति नाथ मिश्र)
उप सचिव।

संख्या: 2264/5-9-2004-9।155।/79

प्रेषक,

श्री नरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त सचिव/प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त, 2004.

विषय:- स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था ।

- - - - - - -

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: प0क0 4601/16-11-79-9-155-99, दिनांक 23 फरवरी, 1980 एवं शासनादेश संख्या:5327/16-11-85-9।155।/79, दिनांक 24-10-1985 को आंशिक संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के जन्म के समय जुड़वा बच्चे हो जाय और इस प्रकार उसके बच्चों की संख्या कुल मिलाकर तीन हो जाय तब भी सरकारी कर्मचारी को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त प्रोत्साहन सरकारी कर्मचारी को अनुमन्य होगा । परन्तु यदि उसके पहले से जुड़वा बच्चे हों और बाद में एक बच्चा और हो जाय तो अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुमन्य नहीं होगा क्योंकि शासकीय नीति का आशय परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखने का है जो पहली बाद बच्चे के जन्म के समय जुड़वा बच्चे हो जाने से पूरा हो जाता है ।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 23-2-80 तथा शासनादेश दिनांक 24-10-85 इस सीमा तक संशोधित समझे जाय ।

3- उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा ।

----2/-

::2::

4- ये आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या: जी।2। 1584/दस/04 दिनांक 28-7-2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

। नरेन्द्र कुमार ।
विशेष सचिव ।

संख्या: 1।1/5-9-2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

।1। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
।2। सचिवालय के समस्त अनुभाग।
।3। श्री राज्यपाल के सचिव।
।4। सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। परिवार कल्याण विभाग। निर्माण भवन, नई दिल्ली।
।5। समस्त जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
।6। निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
।7। सचिव विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
।8। सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
।9। रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

। सूर्य नारायण शुक्ल ।
अनु सचिव ।